उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

(जैवविविधता अधिनियम, 2002, भारत सरकार, के अन्तर्गत गठित स्वायत्त, संवैधानिक / नियामक संस्था)
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार)

पत्रांकः 712 / 4-11-(33)　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांकः 23-03 – 2021

कार्यालय आदेश

जैवविविधता अधिनियम, 2002 धारा 41(1) के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय संरक्षण के संवर्धन, पोषणीय उपयोग और जैव विविधता के दस्तावेजीकरण के प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत आवासकों का भूमि की संरक्षण की प्रजाति का संरक्षण, व्यक्तियों के वर्गो और पशु–धन के घरेलूकृत संवर्धकों तथा पशुओं के प्रजनन और सूक्ष्म जीवों तथा जैव विविधता से संबंधित ज्ञान को श्रृंखलाबद्ध करने के प्रयोजन के लिए इसके क्षेत्र के भीतर है, जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन करेगा।

जैवविविधता नियम, 2004 का नियम 22(6) व उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड नियमावली, 2010 के नियम 21(5) के अनुसार जैव विविधता समिति के मुख्य कृत्य स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से व्यक्तियों का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना है। रजिस्टर में स्थानीय जैव संसाधनों, उनके चिकित्सीय या अन्य उपयोग या उनसे सहबद्ध कोई अन्य पारम्परिक ज्ञान की उपलब्धता और ज्ञान के सम्बन्ध में व्यापक जानकारी अन्तर्विष्ट होगी।

मा0 एन.जी.टी. की प्रिंसिपल बेंच द्वारा वाद संख्या–ओ.ए. 347/2016 चन्द्रभाल सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य में दिनांक 09 अगस्त, 2019 को जन जैवविविधता रजिस्टर की गुणवत्ता की देखरेख हेतु अनुश्रवण समिति (Monitoring Committee) गठित करने के निर्देश दिया गया।

उक्त के क्रम में अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई ने अपने पत्र संख्या–NBA /5/30/219/SBB/NGT दिनांक 30.03.2020 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को मा0 एन.जी.टी. द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत कराते हुए निम्न अनुरोध कियाः–

"State Government is advised to constitute a 5-7 members State-level PBR Quality Evaluation Monitoring Committee, comprising of subject matter experts including superannuated forest service officers which could oversee the quality of PBRs by evolving a suitable mechanism and also to support the National PBR Monitoring Committee appropriately."

मा0 एन.जी.टी. द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जन जैवविविधता पंजिका (पी.बी.आर.) की गुणवत्ता, मूल्यांकन व अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय समिति (State Level People's Biodiversity Register Quality Evaluation Monitoring Committee) गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड की बाईसवी बैठक दिनांक 12.03.2021 को एजेण्डा बिन्दु संख्या–18 में किया गया।

Our Vision: Conservation beyond Imagination
पूर्वी विंग, तृतीय तल, ए–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226 010
फोन नं0: 0522–4006746, फैक्स नं0: 0522–4006746,
E-mail : upstatebiodiversityboard@gmail.com, Website: http://www.upsbdb.org

उक्त क्रम में डा0 रूपक डे, भा0व0से0, सेवानिवृत्त, हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में State Level People's Biodiversity Register Quality Evaluation Monitoring Committee निम्न प्रकार गठित की जाती है:–

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	डा0 रूपक डे	हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (से0नि0) उ0प्र0	अध्यक्ष
2	डा0 एस.के श्रीवास्तव	संयुक्त निदेशक (से0नि0) बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इण्डिया	सदस्य
3	डा0 ए0के0 गोयल	गैर सरकारी सदस्य, उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड	सदस्य
4	डा0 एम.पी. सिंह	मुख्य वन संरक्षक (से0नि0)	सदस्य
5	डा0 मेंही लाल	पूर्व विशेषज्ञ सदस्य, उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड	सदस्य
6	डा0 वी0के0 पाण्डे	समाजशास्त्री वन विभाग (से0नि0)	सदस्य
7	श्री के0के0 तिवारी	महा प्रबन्धक (प्रशासन), उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड	सदस्य सचिव

❖ **समिति के विचारार्थ विषय (Terms of Reference) निम्नानुसार होगें:–**

- जैवविविधता अधिनियम, 2002 व जैवविविधता नियम, 2004 एवं समय–समय पर निर्गत मार्गनिर्देशों के आलोक में जन जैवविविधता पंजिका (पी.बी.आर.) की गुणवत्ता निर्धारण परीक्षण व देखरेख हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।
- जन जैवविविधता रजिस्टर (पी.बी.आर.) तैयार करने के दौरान जैवविविधता प्रबन्ध समितियों (बी.एम.सी.) से विचार–विमर्श, प्रशिक्षण व सुझाव दिया जाना।
- समिति द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को प्रत्येक 03 माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा प्रथम रिपोर्ट 15 मई, 2021 तक प्रस्तुत करना।

समिति के गैर सरकारी सदस्यों (Non-Official) को प्रत्येक बैठक हेतु रू0 2000/– मानदेय के रूप में दिया जाएगा।

23/3

(पवन कुमार शर्मा)
सचिव

पत्र संख्या /दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(पवन कुमार शर्मा)
सचिव

पत्र संख्या /दिनांकित।

प्रतिलिपि अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई को उनके पत्र संख्या–NBA/5/30/219/SBB/NGT दिनांक 30.03.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(पवन कुमार शर्मा)
सचिव

पत्र संख्या /दिनांकित।

प्रतिलिपि सम्बन्धित सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

(पवन कुमार शर्मा)
सचिव

पूर्वी विंग, तृतीय तल, ए–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226 010
फोन नं0: 0522–4006746, फैक्स नं0: 0522–4006746,
E-mail : upstatebiodiversityboard@gmail.com, Website: http://www.upsbdb.org